

दुगानलाल पुत्र बाभाराम
कौमउजापत, नि- भाटियों का डेर
तह- सिगाधरी, जिला- बालोतरा

बनाम भंवराराम पुत्र खेताराम कौमउजापत
भाटियों का डेर, तह- सिगाधरी
जिला- बालोतरा

मुकदमा संख्या 147/2025

तारीख हुकम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	--

14.10.2025


यह वाद/आवेदन/अपील वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी (सिगाधरी) अन्तर्गत धारा 11, 12, 9 राजस्थान 2, 3, 1, 2, 4 अधिनियम 1927 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस/सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट को विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/उतरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की दस्ती दी जावे। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदाता की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 20.11.2025 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी

सिगाधरी

पुनश्च:

पत्रावली दस्तावेज सीए प्रमाण 30.10.25



उपखण्ड अधिकारी
सिगाधरी

30.10.25

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी वकील उपस्थित।
पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि प्रस्तुत प्रकरण सीमाज्ञान की स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में पेश किया है, जो प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन बाद स्पष्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट के पुनः बरामद करवाये जाने के हको को सुरक्षित रखते हुए आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
सिगाधरी

